भारत सरकार
शिक्षा मंत्रालय
स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या: 214
उत्तर देने की तारीख: 14.09.2020

दिव्यांग विद्यार्थियों के लिए शिक्षकों का प्रशिक्षण

214. प्रो॰ अच्युतानंद सामंतः

क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार का विशेष रूप से दिव्यांग विद्यार्थियों को पढ़ाने के लिए शिक्षकों के प्रशिक्षण हेतु कोई तंत्र आरंभ करने का लक्ष्य है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
(ख) दिव्यांग विद्यार्थियों को घर में शिक्षा के लिए उपलब्ध वैकल्पिक तंत्र का ब्यौरा क्या है; और
(ग) इस बात का ध्यान रखते हुए कि अखिल भारतीय विद्यालय शिक्षा सर्वेक्षण (एआईएसईएस) के अनुसार 58,76,273 शिक्षकों में से केवल 80,942 (1.32%) को ही समावेशी शिक्षा संबंधी प्रशिक्षण प्राप्त हुआ है, क्या सरकार द्वारा शिक्षकों के लिए ऐसा प्रशिक्षण कार्यक्रम प्रदान करने की कोई योजना है जिसमें समावेशी शिक्षा पर विशेष रूप से ध्यान दिया गया हो और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर
शिक्षा मंत्री
(श्री रमेश पोखरियाल 'निशंक')

(क) समग्र शिक्षा नामक केंद्र प्रायोजित योजना के अंतर्गत शिक्षकों को प्रशिक्षण देने के लिए एक उचित समर्पित तंत्र की व्यवस्था है। यह शिक्षक शिक्षा कार्यक्रम एससीईआरटी, एसआरजी, केआरपी आदि की सहायता से ब्लॉक / क्लस्टर स्तरों पर चल रहा है और डाइट तथा अन्य संस्थानों में चल रहे इन-सर्विस शिक्षक शिक्षा / प्रशिक्षण कार्यक्रम सूची के साथ एकीकृत किया गया है। एनसीईआरटी, एससीईआरटी, डाइट और बीआरसी स्तर पर शिक्षक शिक्षा मॉड्यूल में विशेष आवश्यकताओं वाले बच्चों की शिक्षा संबंधी उपयुक्त घटक शामिल हैं।

इसके अलावा, विभाग ने स्कूल प्रमुखों और शिक्षकों की समग्र उन्नति के लिए राष्ट्रीय पहल (निष्ठा) शुरू की है। इसका उद्देश्य प्रारंभिक स्तर पर सभी शिक्षकों और स्कूल प्रिंसिपलों के बीच दक्षता निर्माण करना है। विशेष आवश्यकताओं वाले बच्चों (सीडब्ल्यूएसएन) की चिंताओं को शिक्षा प्रणाली के भीतर एकीकृत करने के लिए अन्य के साथ उनकी चिंताओं का भी समाधान किया गया है।

(ख) इस योजना के तहत, घर पर आधारित शिक्षा के लिए कार्यकलाप उन बच्चों को प्रदान किया जाता है जिन्हें गंभीर बौद्धिक और शारीरिक अक्षमता है और जो अपनी स्थिति के कारण पड़ोस के स्कूल तक नहीं पहुंच सकते हैं। डॉक्टरों और विशेषज्ञों की एक टीम द्वारा व्यापक

मूल्यांकन के बाद बच्चे को होम स्कूलिंग की सलाह दी जाती है। समग्र शिक्षा के तहत, वर्ष 2020-21 के दौरान, सभी राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों में गृह आधारित शिक्षा के लिए 1,12,748 **सीडब्ल्यूएसएन** को शामिल करते हुए 2588.06 लाख रुपये के परिव्यय को मंजूरी दी गई है।

(ग) दिव्यांग छात्रों को गुणात्मक शिक्षा प्रदान करने के लिए, 424285 सामान्य शिक्षकों द्वारा दिव्यांग छात्रों की आवश्यकताओं को पूरा करने हेतु प्रशिक्षण प्रदान किया जा रहा है। उपर्युक्त के अलावा, सभी राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों में 28285 समर्पित विशेष शिक्षकों की भर्ती की गई है, जो वर्ष 2018-19 में सरकारी और सरकारी सहायता प्राप्त स्कूलों में दिव्यांग छात्रों की शैक्षिक और सह-शैक्षिक आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए भ्रमणशील मोड में काम करते हैं। सामान्य शिक्षकों का विवरण, जिन्हें समग्र शिक्षा के तहत अधिगम अक्षमता सहित पाठ्यक्रम अनुकूलन संबंधी प्रशिक्षण दिया गया है, अनुबंध-। में दिया गया है।

*****

अनुबंध-I

"दिव्यांग छात्रों के लिए शिक्षक प्रशिक्षण" से संबंधित श्री अच्युतानंद सामंता, संसद सदस्य द्वारा पूछे गए दिनांक 14.09.2020 को उत्तर दिए जाने वाले लोकसभा अतारांकित प्रश्न संख्या 214 के भाग (ग) के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध

पाठ्यक्रम अनुकूलन में प्रशिक्षित सामान्य शिक्षक

क्र. सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	कुल प्रशिक्षित सरकारी शिक्षक (सीडब्लूएसएन)	कुल प्रशिक्षित सहायता प्राप्त शिक्षक (सीडब्लूएसएन)	कुल प्रशिक्षित शिक्षक (सरकारी + सहायता प्राप्त)
1	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	110	0	110
2	आंध्र प्रदेश	518	135	653
3	अरुणाचल प्रदेश	422	3	425
4	असम	11363	83	11446
5	बिहार	11232	71	11303
6	चंडीगढ़	478	28	506
7	छत्तीसगढ़	12995	253	13248
8	दादरा और नगर हवेली	82	0	82
9	दमन और दीव	109	35	144
10	दिल्ली	1298	224	1522
11	गोवा	188	321	509
12	गुजरात	65	783	848
13	हरियाणा	1344	11	1355
14	हिमाचल प्रदेश	1379	0	1379
15	जम्मू और कश्मीर	1152	1	1153
16	झारखंड	4422	91	4513
17	कर्नाटक	186282	0	186282
18	केरल	1958	4298	6256
19	लक्षद्वीप	25	0	25
20	मध्य प्रदेश	14179	103	14282
21	महाराष्ट्र	39	7747	7786
22	मणिपुर	82	15	97
23	मेघालय	274	159	433
24	मिजोरम	175	85	260
25	नगालैंड	220	0	220
26	ओडिशा	162	7	169
27	पुडुचेरी	250	24	274
28	पंजाब	6917	362	7279
29	राजस्थान	8062	0	8062
30	सिक्किम	170	0	170
31	तमिलनाडु	82185	20255	102440
32	तेलंगाना	1319	96	1415
33	त्रिपुरा	415	4	419
34	उत्तर प्रदेश	18388	1172	19560
35	उत्तराखंड	965	59	1024
36	पश्चिम बंगाल	18600	36	18636
	कुल	**387824**	**36461**	**424285**

स्रोत: यूडाइज+ 2018-19

*****